



## शारीरिक दंड

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय](#) ने एक छात्र को आत्महत्या के लिये उकसाने की आरोपी एक महिला शिक्षक की याचिका को खारजि करते हुए कहा कि अनुशासन या शिक्षा के नाम पर स्कूल में किसी बच्चे को [शारीरिक दंड देना क़रूरता है](#)।

### मुख्य बटु

न्यायालय के अनुसार, बच्चे को शारीरिक दंड देना [भारत के संवधान](#) के [अनुच्छेद 21](#) द्वारा गारंटीकृत उसके जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। छोटा होना किसी बच्चे को वयस्क से कमतर/छोटा नहीं बनाता।

### शारीरिक दंड

#### परचिय:

- बाल अधिकारों पर [संयुक्त राष्ट्र समति](#) द्वारा शारीरिक दंड को परभाषति कयिा गया है, "कोई भी दंड जसिमें शारीरिक बल का उपयोग कयिा जाता है और बच्चों के लयिे कुछ हद तक दरद अथवा परेशानी उत्पन्न करने का इरादा होता है, चाहे वह दंड कतिना भी सरल कयों न हो।"
  - समति के अनुसार, इसमें ज़यादातर बच्चों को हाथ या डंडे, बेल्ट आदि से मारना (पीटना, थपपड मारना) सम्मलिति है।
- [वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, शारीरिक या शारीरिक दंड वैश्वकि स्तर पर घरों तथा स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलति है।
  - 2 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे नियमित रूप से अपने माता-पति या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडति कयिे जाते हैं।
- भारत में बच्चों के लयिे 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानकि परभाषा नहीं है।

#### शारीरिक दंड के प्रकार:

- [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) द्वारा परभाषति शारीरिक दंड में कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जो किसी बच्चे को दरद, चोट या हानि पहुँचाता है।
  - इसमें बच्चों को असुवधाजनक स्थिति में खड़ा करना शामिल है, जैसे बेंच पर खड़ा होना, दीवार के सहारे कुर्सी की तरह खड़ा होना या सरि पर स्कूल बैग रखना।
  - इसमें पैरों में हाथ डालकर कान पकड़ना, घुटनों के बल बैठना, जबरन पदार्थ खलाना एवं बच्चों को स्कूल परसिर के भीतर बंद स्थानों तक सीमति रखना जैसी प्रथाएँ भी शामिल हैं।
- मानसकि उत्पीडन का संबंध गैर-शारीरिक दुर्व्यवहार से है जो बच्चों के शैक्षणकि और मनोवैज्ञानकि कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  - दंड के इस रूप में वयंगय, अपशब्दों तथा अपमानजनक भाषा का उपयोग करके डाँटना, डराना और अपमानजनक टपिपणयिों का उपयोग जैसे व्यवहार शामिल है।
  - इसमें बच्चे का उपहास करना, उसका अपमान करना या उसे लज्जति करना, भावनात्मक कष्ट और समस्याग्रस्त वातावरण नरिमति करना जैसे कार्य भी शामिल हैं।

